पत्र सं0-विधि-4(1)-शासन निर्देश -2012-13-निर्गत भाग-5 / 881 / वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर
(विधि-अनुभाग)
उत्तर प्रदेश
लखनऊ :: दिनांक : 13 सितम्बर,12

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर
वाणिज्य कर , उत्तर प्रदेश

दस हार्स पावर तक के डीजल इन्जन पम्प सैट पर दिनांक 30-9-2008 से 31-3-2011 तक की अवधि में 4प्रतिशत +यथा अतिरिक्त कर से अधिक आरोपित कर की राशि को माफ किए जाने के संबंध में शासन द्वारा पत्र सं0-क0नि0-2-898/ग्यारह-2-2012-9(01)/08पार्ट 5 टीसी दिनांक 05 सितम्बर , 2012 (प्रतिलिपि संलग्न)द्वारा निम्न निर्देश निर्गत किए गए हैं -

" शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त निर्णय लिया गया है कि दस हार्स पावर तक के डीजल इन्जन पम्प सेट पर दिनांक 30-9-2008 से 31-03-2011 तक की अवधि में 4 प्रतिशत + यथा अतिरिक्त कर से अधिक देय एवं आरोपित कर की बकाया धनराशि तथा उस पर नियमानुसार देय ब्याज को माफ कर दिया जाये बशर्ते उक्त अवधि में व्यापारियों द्वारा क्रेताओं / उपभोक्ताओं से 4 प्रतिशत + यथा अतिरिक्त कर से अधिक देय कर की धनराशि की वसूली नहीं की गयी है । इसके अतिरिक्त जिन व्यापारियों से उक्त अवधि में देय / आरोपित कर वसूली कर लिया गया है , उसे वापस नहीं किया जाएगा । माफी का आदेश पारित करने का अधिकार सम्बन्धित कर निर्धारक अधिकारी को प्रदान किया जाता है । "

कृपया तदनुसार कार्यवाही करने हेतु अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें ।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार

12.9.12
(योगेन्द्र कुमार)
एडीशनल कमिश्नर (विधि) वाणिज्य कर
मुख्यालय , लखनऊ

संख्या–क0नि0–2–898/ग्यारह–2–2012–9(01)/08पार्ट 5 टीसी

प्रेषक,

बीरेश कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

कमिश्नर,
वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग–2 लखनऊ::दिनांक:: 05 सितम्बर, 2012

विषय: दस हार्सपावर तक के डीजल इन्जन पम्प सेट पर दिनांक 30.09.2008 से 31.3.2011 तक की अवधि में 4 प्रतिशत यथा अतिरिक्त कर से अधिक आरोपित कर की राशि को माफ किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त निर्णय लिया गया है कि दस हार्स पावर तक के डीजल इन्जन पम्प सेट पर दिनांक 30.9.2008 से 31.03.2011 तक की अवधि में 4 प्रतिशत + यथा अतिरिक्त कर से अधिक देय एवं आरोपित कर की बकाया धनराशि तथा उस पर नियमानुसार देय ब्याज को माफ कर दिया जाये बशर्ते उक्त अवधि में व्यापारियों द्वारा केताओं/उपभोक्ताओं से 4 प्रतिशत + यथा अतिरिक्त कर से अधिक देय कर की धनराशि की वसूली नहीं की गयी है। इसके अतिरिक्त जिन व्यापारियों से उक्त अवधि में देय/आरोपित कर वसूली कर लिया गया है, उसे वापस नहीं किया जाएगा। माफी का आदेश पारित करने का अधिकार सम्बन्धित कर निर्धारक अधिकारी को प्रदान किया जाता है।

2. कृपया तदनुसार अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

05/9/12

(बीरेश कुमार)
प्रमुख सचिव।